तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/2/20	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 46/2020 अनवान जालाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पुनः पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन किया। प्रार्थी ने पुनः दिनांक 24.12.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम फींच के ख.नं. 687 रकबा 9.18 बीघा एवं ख.नं. 687/2 रकबा 3.02 बीघा के टुकड़े सड़क निकलने से हो गये परन्तु मौके पर ख.नं. 687/2 का रकबा 6 बीघा एवं ख.नं. 687/ रकबा 8 बीघा हैं जो कि राजस्व रिकार्ड से भिन्नता रखते हैं जिसे मौके के अनुसार रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच रिपोर्ट तहसीलदार लूणी से करवायी गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार लूणी एवं हल्का पटवारी फींच की रिपोर्ट दिनांक 11.02.2020 के अनुसार पूर्व में उक्त खसरा नं. 687 का कुल रकबा 15.13 बीघा था जिसमें से 2.13 बीघा गे.मु.सड़क निकलने से खसरा नं. 687/2 व 687 खातेदार के नाम रहे, जिसका अलग-अलग रकबा हैं जमाबन्दी एवं मौके के रकबे में अन्तर आ रहा हैं। खसरा नम्बर 687/1 रकबा 2.13 बीघा गे.मु.सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम रेकर्ड में दर्ज हैं। मौके अनुसार ख.नं. 687 रकबा 8.00 बीघा एवं ख.नं. 687/2 रकबा 5.00 बीघा हैं। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2020/4353 दिनांक 11.02.2020 के द्वारा मौके अनुसार उक्त खसरों की शुद्धि की जानी उचित बतायी एवं नजरी नक्शें अनुसार भी रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित बताया। भू.अ.निरीक्षक फींच एवं हल्का पटवारी की मौका जांच दिनांक 03.02.2020 मय सीमांकन कर फिल्डबुक सहित रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिशल हैं। इस रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 687 का रकबा 8.00 बीघा एवं खसरा नं. 687/2 का रकबा 5.00 बीघा मौका अनुसार बताया। जो कि रेकर्ड में दर्ज खसरा नं. 687 का रकबा 9.18 बीघा एवं खसरा नं. 687/2 का रकबा 3.02 बीघा मौके अनुसार उक्त खसरों के रकबे से भिन्न हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू. राजस्व अधिनियम अन्तर्गत धारा 136, 131 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं कि माफिक जांच रिपोर्ट दिनांक 11.02.2020 अनुसार रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में दुरूस्ती करे। तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Parihar
Date: 2020.02.26 17:21:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: